

## प्रेसनोट दिनांक 14.02.2021

1. दिनांक 13.02.21 को वादी उ0नि0 श्री जगन्नाथ मणि त्रिपाठी थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1.गुड्डू निषाद पुत्र अनन्तराम नि0 हाजीसिंहपुर धर्मपुर थाना कैण्ट अयोध्या 2. सोनू पाण्डेय पुत्र मनोज पाण्डेय नि0 सरियांवा थाना पूराकलन्दर अयोध्या दोनो गिरो अभिरुद्ध गण के कब्जे से चोरी की 08 अदद मो0सा0 बरामदगी का विवरण-01. हीरो स्पेलेण्डर चेचिस नं0 65710 इंजन नं0 65180 वास्तविक नं0 UP42AK 6594 2-पैशन प्रो बिना नम्बर चेचिस नं0 MBLHA1013 इंजन नं0 57562 03. हीरो होण्डा सीडी डिलक्स UP 42 Q 5934 04. हीरो स्पेलेण्डर चेचिस नं0 06150 इंजन नं0 26372 वास्तविक नं0 UP 42 X 0243 05. हीरो होण्डा साइन मैक्स नं0 UP 53 AB 8944 06. टी0वी0एस0 स्पोर्ट नं0 UP 42 AW 6481 07. स्पेलेण्डर प्लस नं0 UP 53 AP 8584 08. टी0वी0एस0 विक्टर नं0 UP 44 F 4321 बरामद होना जिनमें से कुछ के नम्बर प्लेट बदले हुए हैं। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 101 / 21 धारा 411, 420, 467, 468, 471 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 13.02.21 को वादी श्री अनुपम चौधरी पुत्र स्व0 राममिलन चौधरी नि0 मउ यदुवेशपुर थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन सं0 यूपी 42 बीबी 6055 स्कूटी का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए वादी के पिता के टक्कर मार देना जिससे दौरान इलाज पिता की मृत्यु हो जाना जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 70 / 21 धारा 279, 304ए, भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 13.02.21 को वादी उ0नि0 श्री विवेक कुमार सिंह थाना को0अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि नरसिंह मांझी पुत्र जगदम्बा नि0 गोडियाना तिहुरा मांझा थाना को0अयोध्या अयोध्या गिरो अभिरुद्ध के कब्जे से 20 ली0 कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 65 / 21 धारा 60 आबकारी अधिरुद्ध का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 13.02.21 को वादी श्री राम सुरेश लेखपाल क्षेत्र जयनपुर तहसील सोहावल अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामकुमार पुत्र राम खेलावन नि0 जयनपुर थाना रौनाही अयोध्या अभिरुद्ध द्वारा बिना अनुमति के बिलायती सिंघोर का पेड़ काट कर बेच देना जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 69 / 21 धारा 4 / 10 वन संरक्षण अधिरुद्ध का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 13.02.21 को वादी श्री मनो कुमार पुत्र रामअवध नि0 सखनपुर थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात वाहन चालक वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए वादी के पिता के टक्कर मार देना जिससे इलाज के लिए जाते समय पिता की मृत्यु हो जाना जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 20 / 21 धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 13.02.21 को वादी उ0नि0 श्री धर्मन्द्र सिंह थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शिव प्रसाद पुत्र रतिपाल नि0 रेछ थाना मवई अयोध्या गिरो अभिरुद्ध के कब्जे से 20 ली0 कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना मवई में मु0अ0सं0 35 / 21 धारा 60 आबकारी अधिरुद्ध का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 13.02.21 को वादी श्री मो0 फहद पुत्र स्व0 मसीउद्दीन नि0 करौदी थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन सं0 युपी 51 एटी 7790 मिनी बस का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए वादी के पिता के साइकिल में टक्कर मार देना जिससे दौरान इलाज पिता की मृत्यु हो जाना व साइकिल क्षतिग्रस्त हो जाना जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 27 / 21 धारा 279, 304ए, 427, भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।